भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3249

दिनांक 31.03.2022 को उत्तर के लिए

केन-बेतवा परियोजना पर पर्यावरणीय प्रभाव

3249. श्री जी.सी.चन्द्रशेखर :

श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन-बेतवा परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) कराया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की स्थानीय आबादी पर इस परियोजना के प्रभाव का अध्ययन कराया है क्योंकि इस परियोजना के कारण इस रिजर्व के मुख्य क्षेत्र का लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जहां की 10 प्रतिशत भूमि बाघों का महत्वपूर्ण पर्यावास क्षेत्र है, जलमग्न हो जाएगा;

(ग) क्या परियोजना के अनुमोदन से पूर्व स्थानीय जनता और पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ कोई परामर्श किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ख): केन-बेतवा लिंक परियोजना एक नदी लिंक परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य केन बेसिन के अतिरिक्त जल को जल की कमी वाले बेतवा बेसिन में स्थानांतरित करना है। इस परियोजना को दो चरणों में लागू किया जाना है नामत:

1. केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-।
2. केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-।।

केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-। में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

i. केन नदी पर दाउधन गांव के निकट अर्थ फिल तथा कंक्रीट बांध का निर्माण।
ii. केन नदी से बेतवा बेसिन में जल को स्थानांतरित करने हेतु संपर्क नहर।

केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-।। में निम्नलिखित परियोजनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है:

i. गांव दिदोनी, तहसील चंदेरी, जिला-अशोक नगर, मध्य प्रदेश में लोउर ओर्र बांध परियोजना।
ii. गांव कोथा, तहसील कुरवई, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश में कोथा बांध बृहत् सिंचाई परियोजना।
iii. गांव चकरपुर, तहसील सागर, जिला-सागर, मध्य प्रदेश में बीना कॉम्प्लेक्स बहु-उद्देश्यीय परियोजना (32 मेगावाट)।

मंत्रालय द्वारा यथासंशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 में परियोजना के पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों के व्यापक आकलन हेतु एक विस्तृत प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी), आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) तैयार करने तथा जन परामर्श करने का प्रावधान किया गया है। विषयगत क्षेत्र के विशेषज्ञों को सिम्मलित करके गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा परियोजना के विभिन्न पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं की विस्तृत जांच और उन पर विस्तृत विचार विमर्श करने के उपरांत परियोजना से संबद्ध पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों को न्यूनतम करने हेतु उचित निवारक उपायों तथा पर्यावरण प्रबंधन का सुझाव देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्रदान करने हेतु परियोजना की अनुशंसा की जाती है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत निम्नलिखित परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा गठित ईएसी/एसईएसी द्वारा विस्तृत मूल्यांकन किए जाने जाने पश्चात् यथासंशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्रदान की गई है:

चरण ।

मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले की बिजावर तहसील के दाउधन गांव में केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-। (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.08.2017 को ईसी प्रदान की गई)।

चरण ।।

गांव चकरपुर, तहसील सागर, जिला-सागर, मध्य प्रदेश में बीना कॉम्प्लेक्स बहु-उद्देश्यीय परियोजना (32 मेगावाट) (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 22.02.2017 को ईसी प्रदान की गई)।

गांव कोथा, तहसील कुरवई, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश में कोथा बांध बृहत् सिंचाई परियोजना (राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 21.08.2020 को ईसी प्रदान की गई)।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), भारतीय वन्य जीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति के दो सदस्यों की संयुक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में पन्ना बाघ रिजर्व, मध्य प्रदेश में 105 वर्ग किलोमीटर के बाघ पर्यावासों के नुकसान सहित केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के कारण विभिन्न प्रभावों का आकलन किया है। विचार-विमर्श के बाद, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने स्थल निरीक्षण दल और एनटीसीए द्वारा यथानिर्धारित शर्तों के साथ परियोजना की अनुशंसा की है। तदनुसार, दिनांक 21 सितंबर, 2016 को परियोजना के लिए वन्यजीव मंजूरी दी गई थी।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) ने पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई केन बेतवा लिंक परियोजना चरण । तथा चरण ।।, की प्रत्येक परियोजना के लिए, ईआइए अधिसूचना, 2006 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार जन सुनवाई की है :

i. ग्राम दाउधन, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश में **केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-। -** जन सुनवाई के संबंध में स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान में दिनांक 21 तथा 23 नवंबर, 2014 को सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुई थी। छतरपुर और पन्ना जिलों में जन सुनवाई क्रमश: 23 और 27 दिसंबर, 2014 को आयोजित की गई थी।
ii. ग्राम चकरपुर, तहसील सागर, जिला सागर, मध्यप्रदेश में **केन-बेतवा लिंक परियोजना,चरण ।। - बीना कॉम्पलेक्स बहुउद्देशीय परियोजना (32 मेगावाट)** - जन-सुनवाई के संबंध में रायसेन, विदिशा जिले में स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर और नई दुनियां (13.04.2016 को पत्रिका और दैनिक भास्कर)

में तथा सागर जिले में (26.04.2016 को दैनिक भास्कर में और 27.04.2016 को हिंदुस्तान टाइम्स में) एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी। रायसेन जिले, विदिशा जिले और सागर जिले में जन-सुनवाई क्रमश: 18 मई, 2016, 20 मई, 2016 और 27 मई, 2016 को आयोजित की गई थी।

iii. मध्यप्रदेश में ग्राम कोथा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा में **केन-बेतवा लिंक परियोजना, चरण-।। - कोथा बैराज प्रमुख सिंचाई परियोजना -** दिनांक 8 जून, 2019 को विदिशा जिले के दैनिक समाचार पत्र हिंदी दैनिक, ''दैनिक भास्कर'' और ''नव दुनिया'' में 8 जून, 2018 को जन सुनवाई संचालित करने हेतु एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया गया था। विदिशा जिले में दिनांक 10 जुलाई, 2019 को जन-सुनवाई आयोजित की गई थी।

आम जनता से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए जन सुनवाई की तिथि से एक महीने पहले स्थानीय और राष्ट्रीय समाचारपत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी। ईएसी ने ईसी प्रदान करने के लिए परियोजना के मूल्यांकन के समय जन परामर्श के दौरान प्राप्त टिप्पिणयों पर विचार किया।

*****